औद्योगिक-आईटी पार्क में खुल सकेंगे रेस्टोरेंट बार

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल पार्क व आईटी पार्क में रेस्टोरेंट बार व विदेशी मदिरा के आउटलेट खुल सकेंगे। यह अनुमति केवल औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में 20,000 वर्ग मीटर एवं उससे ज्यादा क्षेत्रफल के आईटी / आईटीईएस पार्क के लिए मिलेगी। इसके तहत पर्याप्त सुविधाएं होने पर रेस्टोरेंट कैंटीन के साथ-साथ रेस्टोरेंट बार तथा प्रीमियम रिटेल दुकानें खुल सकेंगी।

गौतमबुद्ध नगर के प्राधिकरण तथा औद्योगिक विकास क्षेत्रों यथा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भूमि पर शराब विक्रेताओं को आवश्यकतानुसार मदिरा की दुकान परमानेंट अथवा प्री फैब्रीकेटेड स्ट्रक्चर में खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसमें यूपी आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली-1968 (यथासंशोधित) एवं इस संबंध में निर्गत सिद्धांतों का पालन करना जरूरी होगा। दुकानों का किराया सीधे औद्योगिक या विकास प्राधिकरण को मिलेगा। इसके लिए विकास क्षेत्र व प्राधिकरण को नियमावली में परिवर्तन करवाना होगा।

20 हजार वर्ग मीटर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल वाले पार्कों में सुविधा

डिस्टलरी में पर्यटकों को भ्रमण कराया जा सकेगा

विदेशी मदिरा उत्पादक डिस्टलरियों में (आसवनियों, यवासवनियों और द्राक्षासवनियों) में पर्यटकों को भ्रमण कराया जाएगा। इसके लिए स्वउत्पादित ब्राण्ड की टेस्टिंग की छूट होगी। इसके लिए आसवनी से 50,000, यवासवनियों से 25 हजार रुपये शुल्क लिया जायेगा। द्राक्षासवनियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। द्राक्षासवनियों में केवल अपने उत्पाद की पर्यटकों को फुटकर बिक्री हो सकेगी लेकिन इसकी लाइसेंस फीस 50,000 रुपये सालाना होगी। यवासवनियों में 75,000 रुपये लाइसेंस फीस पर केवल अपने उत्पाद की फुटकर बिक्री के लिए एक फुटकर दुकान का संचालन अपने परिसर के अंदर किए जाने की छूट होगी।